डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

रतनलाल पुत्र रेवडया जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————————————————————वादी

बनाम

1. सुगनबाई बेवा रामस्वरूप जाति मीना निवासी ठेकडा तहसील महुआ केयर ऑफ रामकिशोर पुत्र चिम्मन मीना निवासी ठेकडा तहसील महुआ – मृतक

1/1. मु० मोहरबाई पुत्री सुगनबाई पत्नि रामश्री जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/2. मु० गिलासी पुत्री सुगनबाई पत्नि अशोक जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

2.	शिवकुमार	पिसरान रमनलाल	जातियान मीना
3.	कमलेश		
4	अशोक		
5ए	मिश्री बेवा रमनलाल		निवासीयान झारेडा
5.	बत्तू पुत्र श्रीचंद		
6.	कंचनबाई बेवा काडू		
7.	कल्लू	पिसरान काडू	
8.	निरोज		तहसील हिण्डौन
9.	राजू		
10.	नरेश		
11.	मु. साबूती	पुत्रियॉ काडू	
12.	मु. अमरूती		जिला करौली राजस्थान
13.	मु. ममता		
14.	मु. सुनीता		

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

15. सुमेर | पिसरान रामखिलाडी | जातियान मीना
16. अशोक
17. मु. कमलेश पुत्री रामखिलाडी
18. मु. ममता पुत्री रामखिलाडी
19. मु. बतासी बेवा रामखिलाडी | निवासीयान झारेडा
20. नमो | पिसरान हरेती
21. निवास
22. राजेन्द्र | तहसील हिण्डौन
23. बलराम पुत्र ओमी
24. मु. शारदा पुत्री ओमी | जिला करौली राजस्थान
25. मु. केशर बेवा ओमी
26. रामेश्वर पुत्र जमनी

27. शिवचरण पुत्र जमनी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन –मृतक

27/1. शेरसिंह | पिसरान शिवचरण | जाति मीना निवासी झारेडा
27/2. रवि
27/3. कुसुम बेवा शिवचरण | तहसील हिण्डौन
28. बिजेन्द्र | पिसरान जमनी
29. मु. शिवदेई
30. मु. प्रकाशी | जिला करौली
31. राजू पुत्र विशम्भर
32. मु. दरबो बेवा विशम्भर
33. मु. सरवती पुत्री भोरया

34. रामपती जोहरी भाई जिन्सी पत्नि बद्री जाति मीना निवासी सूरौठ
35. चैनबाई पुत्री जोहरी भाई जिन्सी पत्नि सूका, जाति मीना नि. सूरौठ

36. करण | पिसरान जयलाल जाति मीना निवासी झारेड़ा
37. बच्चू
38. आलम | तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
39. शेरसिंह

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली

40. रामजीत पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी झारेड़ा तहसील हिण्डौन

41. हरभजन पुत्र शंकर

42. जीवन | पिसरान रघुनाथ

43. श्रीकिशन |

44. बाबू पुत्र रामधन

45. स्वरूप पुत्र मदनपाल

46. मोहरबाई बेवा मनोहरी

47 दिलीप | पिसरान मनोहरी

48. गोविन्द |

49. नीरज |

50. मोहनसिंह | पिसरान हरीमन

51. बीरबल |

52. दिनेश |

53. मु. खिलौन | पुत्रिया हरीमन

54. मु. मलूकबाई |

55. मु. फूलवती |

56. मु. मीना |

57. मु. हरप्यारी बेवा हरीमन

58. मोहरसिंह | पिसरान गिर्राज

59. रूपसिंह |

60. राजू | पिसरान पिल्लू

61. बाबू |

62. मु. सुगनी बेवा पिल्लू

63. गेन्दा पुत्र चिम्म

64. पिन्चू पुत्र हल्के

65. मिश्री पत्नि सुरेश

66. जयसिंह | पिसरान फैली

67. बहादुर |

(41–67) जातियान मीना, निवासीयान झारेडा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान

उपखण्ड
हिण्डौन

0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954/3844 रकबा 0.06 है0, 1954/3842 रकबा 0.06 है0, 1953/3843 रकबा 0.10 है0, 1953/3840 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/12/25 को यह डिकी जारी की गई।

20/12/25

(हेमराज [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 116/2014 तारीख रजू:– 19.09.2014

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रतनलाल पुत्र रेवडया जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————————————————— वादी

बनाम

1. सुगनबाई बेवा रामस्वरूप जाति मीना निवासी ठेकडा तहसील महुआ केयर ऑफ रामकिशोर पुत्र चिम्मन मीना निवासी ठेकडा तहसील महुआ – मृतक

1/1. मु0 मोहरबाई पुत्री सुगनबाई पत्नि रामश्री जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/2. मु0 गिलासी पुत्री सुगनबाई पत्नि अशोक जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

2.	शिवकुमार	पिसरान रमनलाल	जातियान मीना
3.	कमलेश		
4	अशोक		
5ए	मिश्री बेवा रमनलाल		निवासीयान झारेडा
5.	बत्तू पुत्र श्रीचंद		
6.	कंचनबाई बेवा काडू		
7.	कल्लू	पिसरान काडू	
8.	निरोज		तहसील हिण्डौन
9.	राजू		
10.	नरेश		
11.	मु. साबूती	पुत्रियॉं काडू	
12.	मु. अमरूती		जिला करौली राजस्थान
13.	मु. ममता		
14.	मु. सुनीता		

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

15. सुमेर | पिसरान रामखिलाडी | जातियान मीना
16. अशोक
17. मु. कमलेश पुत्री रामखिलाडी
18. मु. ममता पुत्री रामखिलाडी | निवासीयान झारेडा
19. मु. बतासी बेवा रामखिलाडी
20. नमो | पिसरान हरेती
21. निवास | तहसील हिण्डौन
22. राजेन्द्र
23. बलराम पुत्र ओमी
24. मु. शारदा पुत्री ओमी | जिला करौली राजस्थान
25. मु. केशर बेवा ओमी
26. रामेश्वर पुत्र जमनी
27. शिवचरण पुत्र जमनी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन –मृतक
27/1. शेरसिंह | पिसरान शिवचरण | जाति मीना निवासी झारेडा
27/2. रवि
27/3. कुसुम बेबा शिवचरण | तहसील हिण्डौन
28. बिजेन्द्र | पिसरान जमनी
29. मु. शिवदेई
30. मु. प्रकाशी | जिला करौली
31. राजू पुत्र विशम्भर
32. मु. दरबो बेवा विशम्भर
33. मु. सरवती पुत्री भोरया
34. रामपती जोहरी भाई जिन्सी पत्नि बद्री जाति मीना निवासी सूरौठ
35. चैनबाई पुत्री जोहरी भाई जिन्सी पत्नि सूका, जाति मीना नि. सूरौठ
36. करण | पिसरान जयलाल जाति मीना निवासी झारेड़ा
37. बच्चू
38. आलम | तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
39. शेरसिंह

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

40. रामजीत पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी झारेड़ा तहसील हिण्डौन
41. हरभजन पुत्र शंकर — जातियान मीना
42. जीवन
43. श्रीकिशन — पिसरान रघुनाथ
44. बाबू पुत्र रामधन
45. स्वरूप पुत्र मदनपाल
46. मोहरबाई बेवा मनोहरी — निवासीयान झारेडा
47 दिलीप
48. गोविन्द
49. नीरज — पिसरान मनोहरी
50. मोहनसिंह
51. बीरबल
52. दिनेश — पिसरान हरीमन — तहसील हिण्डौन
53. मु. खिलौन
54. मु. मलूकबाई
55. मु. फूलवती
56. मु. मीना — पुत्रिया हरीमन
57. मु. हरप्यारी बेवा हरीमन — जिला करौली राजस्थान
58. मोहरसिंह
59. रूपसिंह — पिसरान गिर्राज
60. राजू
61. बाबू — पिसरान पिल्लू
62. मु. सुगनी बेवा पिल्लू
63. गेन्दा पुत्र चिम्म
64. पिन्वू पुत्र हल्के
65. मिश्री पत्नि सुरेश
66. जयसिंह
67. बहादुर — पिसरान फैली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

68. डोडी	पिसरान जयसिंह	जातियान मीना
69. मोहरसिंह		
70. पिन्टू		निवासी झारेडा
71. जगदीश	पिसरान बहादुर	
72. पप्पू		तहसील हिण्डौन
73. राजेन्द्र		
74. सुरेश	पिसरान रामसिंह	जिला करौली राजस्थान
75. केसू		

76. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादी

2. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी सं03,5,7,21,22,26,31,41, 43,47,51,52,57,59,62,65,66,67,68,71,74,75

3. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट प्रतिवादी सं0 1/1,1/2, 27/1 27/2, 27/3

निर्णय

दिनांक :— 23/12/25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादी व प्रतिवादीगण ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन के मूल निवासी है। जाति से दोनों पक्ष मीना है तथा एक दूसरे के नजदीकी परिवारों के सदस्य हैं। ग्राम में प्रचलित प्रथा के तहत आपसी सहयोग के चलते जमीनों की खरीद फरोख्त व बदल पत्र आदि करके एक जगह पर काश्त करने के लिए सभी पक्षकारान मुकदमा सहमत हैं और सभी कार्य खातेदारान व सहखातेदारान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की आपसी रजामंदी व सहमति से किये जाते रहे हैं और वह कम आज भी बदस्तूर है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0, 1953/3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा 0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954/3844 रकबा 0.06 है0, 1953/3843 रकबा 0.10 है0, 1953/3840 रकबा 0.06 है0, 1954/3842 रकबा 0.06 है0, खाता संख्या 510 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 है0 ग्राम झारेडा का प्रतिवादी सं01 द्वारा उक्त आराजीयात के खातेदारों से अपनी स्वंय की जमीन के बदले में एक स्थान पर एकत्रित कर काश्त करती रही है और सभी जमीनें एक चक में है। जिनका मौके पर तीन खेत बने हुए हैं। जो प्रतिवादी सं01 के कब्जे काश्त में रहा है तथा उक्त आराजीयात के बदले में दी गई आराजीयात उक्त खातेदारों के कब्जे में है। जिनका कभी किसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। पूर्व में किये गये बदल के आधार पर आज भी जमीनों को काश्त करते चले आ रहे हैं।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं01 जो वृद्ध हो चुकी है, उसने अपने कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात की जमीनों के खातेदारों की सहमति से दिनांक 03.06.1993 को मुवलिग 31100/–रूपया में वादी को बेचान कर कब्जा संभला दिया है और उक्त किता 8 रकबा 0.81 है0 पर वादी बतौर मालिक योग दायरी खरीद से साल दर साल व फसल दर फसल काश्त करता चला आ रहा है और वह कम आज भी बदस्तूर है। इस प्रकार वादी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्रिंसीपल ऑफ एडवर्स पजेशन लोंग टर्म पजेशन के आधार पर खातेदार हो गया है तथा प्रतिवादीगण खातेदारान के राईट्स अन्तर्गत धारा 63 रा.ले.एक्ट के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए समाप्त हो चुके हैं।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार विजय लाऔलाद फौत हो गए हैं। उनके तर्के पर प्रतिवादी सं02 लगायत 4 काबिज एवं दखील है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1953/3841 रकबा 0.05 है0 की खातेदारी मौजूदा रेवन्यू रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 5 बहिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं0 6 लगायत 14 बहिस्सा 1/3, जो मृतक खातेदार काडू के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं0 15 लगायत 19 बहिस्सा 1/3 के खातेदारी दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1953 रकबा 0.09 है0 का मौजूदा रेवन्यू रिकार्ड प्रतिवादी सं0 20 ता 22 बहिस्सा 9/16, प्रतिवादी सं0 23 लगायत 25 बहिस्सा 3/16, प्रतिवादी सं0 26 ता 30 बहिस्सा 5/24, प्रतिवादी सं0 31 व 32 बहिस्सा 1/24 के खातेदारी में दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1952 रकबा 0.26 है0 का मौजूदा रेवन्यू रिकार्ड प्रतिवादी सं0 33 बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 34 व 35 बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 36 ता 40 बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 41 हि01/10, प्रतिवादी सं0 42,43 बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 44 बहिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 45 हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 26 ता 30 बहिस्सा 1/10 की खातेदारी में दर्ज है। मृतक सांवली खातेदार के वारिस प्रतिवादी सं044 जो उसके तर्के पर काबिज हैं। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 44 का 1/5 हिस्सा के रिकोर्डेड खातेदार हैं।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1954/3844 रकबा 0.06 है0 स्थित ग्राम झारेडा जिसका मौजूदा में रेवन्यू रिकार्ड प्रतिवादी सं0 50 लगायत 57 बहिस्सा बराबर की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर योम दायरी खरीद से वादी काबिज एवं दखील है।

वाद पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1954/3842 रकबा 0.06 है0 ग्राम झारेडा जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकार्ड प्रतिवादी सं0 58, 59 बहिस्सा बराबर दर्ज है और कब्जा काश्त वादी योग दायरी खरीद आज दिन तक बदस्तूर है।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 953/3843 रकबा 0.10 है0 ग्राम झारेडा जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकार्ड प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सं0 60 लगायत 62 बहिस्सा बराबर दर्ज है और कब्जा काश्त वादी योग दायरी खरीद आज दिन तक बदस्तूर है।

वाद पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1953/3840 रकबा 0.08 है0 ग्राम झारेडा जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकार्ड प्रतिवादी सं0 63 बहिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं0 64 के मृतक पिता हल्के बहिस्सा 1/2 दर्ज है और कब्जा काश्त वादी योग दायरी खरीद आज दिन तक बदस्तूर है।

वाद पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा दिनांक 17.06.2014 को ग्राम झारेडा में आराजीयात वर्णित मद नं0 4 लगायत 11 के खातेदारों को एकत्रित कर खरीदशुदा आराजीयात वर्णित मद नं0 4 लगायत 11 किता 8 कुल रकबा 0.81 है0 की खातेदारी वादी के नाम करवाने की प्रार्थना की, साथ ही यह भी कहा कि मैने जमीन सुगनबाई से आप सबकी सहमति से खरीद की है, इसलिए आप सब मुझे खातेदारी करवाओ, जिस पर प्रतिवादीगण में से 5 आदमी ग्राम ठेकडा तहसील महुवा गये, प्रतिवादीगण सं01 से सम्पर्क कर विवाद का निस्तारण करवाने बाबत् कहा, तो प्रतिवादी सं01 द्वारा यह कहते हुए कि मैने जमीन रतन मास्टर को बेच दी है अब तुम व रतन मास्टर जाने, मैं किसी को एकत्रित नहीं करूंगी। क्योंकि मैं बीमार चल रही हूँ और ज्यादा डोल फिर करने की स्थिति में नहीं हूँ। इस प्रकार वादी द्वारा वाद भी एक प्रकार से सभी खातेदारान प्रतिवादीगण की सहमति से ही दायर किया है।

वाद पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि दावा दायरी से पूर्व वादी दिनांक 21.06.2014 को दिन के करीब 11 बजे ग्राम ठेकडा जाकर प्रतिवादी सं01 से मिला और जमीनों के विवाद का निस्तारण करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी सं01 द्वारा वादी से साफ मना कर दिया कि मैं अपनी जमीन के बदले वाले लोगों को दे चुकी हूँ। मैं अब कुछ भी करवाने की स्थिति में नहीं हूँ। इसलिए अगर प्रतिवादीगण द्वारा मुताविक सहमति इकरार वादी के नाम खातेदारी नहीं करवाकर जमीनों का दीगर डण्डे वाले व्यक्तियों को बेचान कर दिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना सम्भव नहीं है। प्रतिवादी सं0 65 लगायत 75 डण्डे के बल पर आराजीयात पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 17.06.2014को व 21.06.2014 को प्रतिवादी सं01 द्वारा वादी के हक में जमीनों की खातेदारी करवाने की मना करने पर वमुकाम ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन इस अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा निवास फरीकेन व स्थित भूमि विवादग्रस्त की दृष्टि से दावा हाजा की सुनवाई व समाअत का अधिकार इस अदालत को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 16 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188 के तहत पेश किया गया है। दावा अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0, 1953/3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा 0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954/3844 रकबा 0.06 है0, 1954/3842 रकबा 0.06 है0, 1953/3843 रकबा 0.10 है0, 1953/3840 रकबा 0.08 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 है0 ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का वादी खातेदार काश्तकार है। दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1 व 65 लगायत 76 को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0, 1953/3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा 0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954/3844 रकबा 0.06 है0, 1954/3842 रकबा 0.06 है0, 1953/3843 रकबा 0.10 है0, 1953/3840 रकबा 0.08 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 है0 ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। वादी के कब्जे काश्त आराजीयात में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रहन बय हीं करें। फसल व जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचावें। ऐसा कोई कार्य ना ो स्वंय करें, ना ही किसी अन्य से करावें कि जिससे हकूक वादी पर प्रतिकूल भाव पडे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया ा। दिनांक 10.07.2015 को प्रतिवादी सं0 30, 31 की ओर से श्री बी.एल. शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एडवोकेट उपस्थित आये। दिनांक 04.11.2015 को प्रतिवादी सं0 3,5,7,21,22,26, 27,31,41,43,47,51,52,57,59,62,65,66,67,68,69,71,74,75 की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। दिनांक 25.04.2017 को प्रतिवादी सं0 1/1, 1/2 की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1/1, 1/2, 27/1, 27/2, 27/3 की ओर से श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित प्रतिवादीगण को जबावदावा पेश करने हेतु कई अवसर देने के उपरान्त भी जबावदावा पेश नहीं किया गया।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में असल लिखावट विक्रय पत्र सादा पेपर दिनांक 03.06.1993 उनवानी सुगनबाई बेबा रामस्वरूप मीना निवासी झारेडा प्रथम पक्ष बहक रतनलाल मीना अध्यापक निवासी झारेडा द्वितीयपक्ष प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 कुल किता 6 प्रदर्श 3 लगायत 8 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी रतनलाल ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं है और वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत असल लिखावट विक्रय पत्र सादा पेपर दिनांक 03.06.1993 में अंकित किया है कि विक्रय पत्र लिख दीनो आज दिनांक 03.06.1993 में को मैं सुगनबाई बेबा रामस्वरूप मीना निवासी झारेडा प्रथम पक्ष ने आगे लिख दीनों रतनलाल मीना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ध्यापक निवासी झारेडा द्वितीयपक्ष को जो मेरी कब्जा काश्त की जमीन 3 बीघा क्की जरीब की नाप से मौके पर तीन खेत वरवाडे की जिसकी सीमा निम्न कार हैं – धनवाई पीपणीन वाले आम रास्ते से ऊँगोनी को और श्री गणपति ंडित हरिमन के खेत से आथोनी को तथा रूध के हार के आम रास्ते से लंकोई । हरिमन मीना के खेत से धूजी की तरफ स्थित है। मुझ प्रथम पक्ष ने 1100/–रूपया अंकेन इकत्तीस हजार सौ रूपये रोकडी लेकर द्वितीय पक्ष श्री तन लाल मीना अध्यापक को बेचान कर दिया है। यदि एक महीने लिखावट वधि के अन्दर मैं प्रथमपक्ष बदलू तों मैं प्रथम पक्ष द्वारा ली गयी राशि की पांच नी अदा करूंगी। इस एक माह की अवधि के बाद इस जमीन पर मेरा व मेरी ौलाद का कोई अधिकार नहीं होगा। जरूरत पडने पर मैं मेरी खातेदारी की जमीन की रजिस्ट्री करवा दूंगा। कब्जा लेने में जो भी केशबाजी होगी उसका र्जाना मैं अदा करूंगी। यह लिखावट मैंने मेरी राजी खुशी होश हबास वे नशे ते लिख दीनी है। इसमें मैं उजर करूंगी तो राज पंच में झूंठी पडूंगी, सो सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवे। उक्त लिखावट पर सुगनबाई के बांये अंगूठे की निशानी है तथा दो गवाह केदार व एक अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं।

नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1954, 1953/3841, 1953, 1952, 1954/3844, 1953/3843, 1953/3840, 1954/3842, कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 है0 स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का एक चक बना हुआ है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 प्रदर्श– 3 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0 ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी शिव कुमार, कमलेश, अशोक, विजय, पुत्रान रमनलाल, मिसरी बेबा मनलाल मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 प्रदर्श– 4 के अनुसार विवादित ाराजी खसरा नम्बर 1953/3841 रकबा 0.05 है0 ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन ी खातेदारी कारू, बत्तू पि0 श्रीचन्द हि0 2/3, रामखिलाडी पुत्र श्रीचन्द हि0 /3 जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी माबन्दी पर अंकित नोट नारमान्तकरण सं0 551 नि0दिं0 15.02.2013 –विरासत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

से रामखिलाडी पुत्र श्रीचन्द के बजाय सुमेर अशोक पि0 रामखिलाडी कमलेश ममता पुत्रियॉं रामखिलाडी बतासी बेबा रामखिलाडी हि0ब0हि0 1/3 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 554 नि.दिं. 15.02.2013 विरासत से कारू पुत्र श्रीचन्द बहक कंचनवाई बेबा कारू कल्लू निरोज राजू नरेश पि0 कारू सावूती अमरूती ममता सुनीता पुत्रियॉं कारू हि0ब0हि0 1/3 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 प्रदर्श– 4 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1953 रकबा 0.09 है0 ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी नमो औमी निवास राजेन्द्र पि0 हरेतीलाल हि0 1/2 व मिसरी बेबा हरेती जमनीलाल पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नारमान्तकरण सं0 396 नि0दिं0 20.11.2009 –विरासत से खातेदार जमनीलाल पुत्र किशोरी के फौत हो जाने पर खातेदारी इसके वारिसान रामेश्वर शिवचरण विजेन्द्र पि0 जमनीलाल शिवदेई प्रकाशी पुत्री जमनीलाल हि0 5/24, राजू पुत्र विशम्भर सीमा पुत्री विशम्भर मु0 दरवो वेवा विशम्भर हि0ब0हि0 1/24 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 397 नि.दिं. 20.11.2009 विरासत खातेदार ओमी के फौत हो जाने पर खातेदारी इसके वारिसान बलराम पुत्र ओमी शारदा पुत्री ओमी मु0 केशर बेबा ओमी हि0ब0 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 प्रदर्श– 5 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1952 रकबा 0.26 है0 ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी भैराम पुत्र फूलसिंह, जिन्सी पुत्र गोरधन, करण बच्चूसिंह आलम शेरसिंह रामजीत पि0 जयलाल कुन्ती वेवा जयलाल खातेदार रघुनाथ, हरभजन पि0 शंकर हि0 ब0, बाबू पुत्र रामधन, स्वरूप पुत्र मदनपाल मु0 सावली बेवा धनपाल मोहरबाई बेबा मनोहरी दिलीप गोविन्द नीरज पि0 मनोहरी नीरज पुत्र मनोहरी नावा. संरक्षक माता मोहरबाई हरेती जमनीलाल पि0 किशोरी जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 प्रदर्श– 6 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1954/3844 रकबा 0.06 है0 ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की खातेदारी मोहनसिंह बीरबल दिनेश पि० हरीमन खिलौन मलकेबाई फूलवती मीना पुत्री हरीमन मु० हरप्यारी वेवा हरीमन हि० ब० मीणा निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं० 2066–69 प्रदर्श– 6 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1954 / 3842 रकबा 0.06 है० ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी मोहरसिंह रूपसिंह पि० गिर्राज जाति मीणा निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं० 2066–69 प्रदर्श– 7 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1953 / 3843 रकबा 0.10 है० ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामू बाबू पुत्रान पिल्लू सुगनी बेबा पिल्ल जाति मीणा निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं० 2066–69 प्रदर्श– 7,8 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1953 / 3840 रकबा 0.08 है० ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी हल्के गैंदाराम पि० चिम्मनजी मीणा निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0, 1953 / 3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा 0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954 / 3844 रकबा 0.06 है0, 1954 / 3842 रकबा 0.06 है0, 1953 / 3843 रकबा 0.10 है0, 1953 / 3840 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी जिन खातेदार / प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है उन्होंने न्यायालय में कोई उज्र दायर नहीं किया है और ना ही उक्त वाद पत्र का जबावदावा उनके द्वारा पेश किया गया है। मुताविक असल लिखावट विक्रय पत्र सादा पेपर दिनांक 03.06.1993 में अंकित केया है कि विक्रय पत्र लिख दीनो आज दिनांक 03.06.1993 में को मैं सुगनबाई बा रामस्वरूप मीना निवासी झारेडा प्रथम पक्ष ने आगे लिख दीनों रतनलाल ना अध्यापक निवासी झारेडा द्वितीयपक्ष को जो मेरी कब्जा काश्त की जमीन 3 घा पक्की जरीब की नाप से मौके पर तीन खेत वरवाडे की जिसकी सीमा न्न प्रकार हैं – धनवाई पीपणीन वाले आम रास्ते से ऊँगोनी को और श्री

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गणपति पंडित हरिमन के खेत से आथोनी को तथा रूघ के हार के आम रास्ते से लंकोई व हरिमन मीना के खेत से धूजी की तरफ स्थित है। मुझ प्रथम पक्ष ने 31100/–रूपया अंकेन इकत्तीस हजार सौ रूपये रोकडी लेकर द्वितीय पक्ष श्री रतन लाल मीना अध्यापक को बेचान कर दिया है। यदि एक महीने लिखावट अवधि के अन्दर मैं प्रथमपक्ष बदलू तों मैं प्रथम पक्ष द्वारा ली गयी राशि की पांच गुनी अदा करूंगी। इस एक माह की अवधि के बाद इस जमीन पर मेरा व मेरी औलाद का कोई अधिकार नहीं होगा। जरूरत पडने पर मैं मेरी खातेदारी की जमीन की रजिस्ट्री करवा दूंगा। कब्जा लेने में जो भी केशबाजी होगी उसका हर्जाना मैं अदा करूंगी। यह लिखावट मैंने मेरी राजी खुशी होश हबास वे नशे पते लिख दीनी है। इसमें मैं उजर करूंगी तो राज पंच में झूंठी पडूंगी, सो सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवे। उक्त लिखावट पर सुगनबाई के बांये अंगूठे की निशानी है तथा दो गवाह केदार व एक अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। जिससे साफ जाहिर है कि उक्त विवादित आराजीयात को उक्त खातेदारान या उनके पूर्वजों के द्वारा सुगनबाई बेबा रामस्वरूप मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन को बेचान किया गया था तथा उक्त भूमि पर सुगनबाई बेबा रामस्वरूप मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन का ही कब्जा काश्त होने के कारण सुगनबाई ने लिखावट विक्रय पत्र सादा पेपर दिनांक 03.06.1993 रतनलाल मीना अध्यापक निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन के पक्ष में की गई है तथा विकीत भूमि पर कब्जा वादी रतनलाल मीना को संभलाना तथा विक्रय धन राशि 31100/– रूपया चूकती रोकडी रतनलाल से सुगनवाई के द्वारा प्राप्त करना उक्त लिखावट विक्रय पत्र में अंकित किया है। इस प्रकार वादी रतनलाल का उक्त विवादित आराजीयात पर दिनांक 03.06.1993 से काबिज होकर काश्त करना साबित है। वादी का उक्त विवादित आराजीयात पर लगभग 32 वर्ष से अधिक का लगातार कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी का विवादित आराजीयात पर 12 वर्ष से भी अधिक का कब्जा काश्त होना उक्त लिखावट विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1993 से साबित है अर्थात 32 वर्ष से वादी का कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादी का एडवर्ष पजेशन भी साबित हो चुका है। यदि उक्त विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण एवं खातेदारों का कोई कब्जा काश्त होता तो वे न्यायालय में अपना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा पेश करते अर्थात कोई उज्र करते किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए तथा जो उपस्थित हुए उन्होंने जबावदावा पेश नहीं किया और ना ही कोई उज्र किया है। उक्त विवादित आराजीयात पर खातेदारों का कब्जा नहीं होकर वादी का कब्जा होना लिखावट से स्पष्ट है। जिससे साफ जाहिर होता है कि उक्त विवादित आराजीयात का सुगनबाई के द्वारा वादी के हक में जो लिखावट विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1993 को विक्रय बाबत लिखा गया है तथा वादी को कब्जा संभलाना अंकित किया गया है, वह सही प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजीयात पर वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत लिखावट विक्रय पत्र से वादी का कब्जा होना साबित है तथा वादी का 32 वर्ष पुराना कब्जा काश्त होने के कारण वादी का उक्त विवादित आराजीयात पर एडवर्ष पजेशन भी साबित है तथा एडवर्ष पजेशन के आधार पर वादी उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने का भी वादी अधिकारी है। ऐसे हालात में वादी को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वादी का दावा डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1954 रकबा 0. 11 है0, 1953/3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा 0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954/3844 रकबा 0.06 है0, 1954/3842 रकबा 0.06 है0, 1953/3843 रकबा 0.10 है0, 1953/3840 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का वादी रतनलाल पुत्र रेवडया जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। उक्त विवादित आराजीयात पर वादी के हिस्से पर कोई रहन मुर्तहिन का इन्द्राज दर्ज नहीं किया जावेगा तथा उक्त खसरा नम्बरों में जिन खातेदारों का रहन मुर्तहन का इन्द्राज है व उनके अन्य खसरा नम्बरों पर यथावत रहेगा तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादी सं01 लगायत 75 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0, 1953/3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा 0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954/3844 रकबा 0.06 है0, 1954/3842 रकबा 0.06 है0, 1953/3843 रकबा 0.10 है0, 1953/3840 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 23/12/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

68.	झोडी	पिसरान जयसिंह	जातियान मीना
69.	मोहरसिंह		
70.	पिन्टू		निवासी झारेडा
71.	जगदीश	पिसरान बहादुर	
72.	पप्पू		
73.	राजेन्द्र		तहसील हिण्डौन
74.	सुरेश	पिसरान रामसिंह	जिला करौली राजस्थान
75.	केसू		

76. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 116/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट एवं श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0, 1953/3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा 0.09 है0, 1952 रकबा 0.26 है0, 1954/3844 रकबा 0.06 है0, 1954/3842 रकबा 0.06 है0, 1953/3843 रकबा 0.10 है0, 1953/3840 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का वादी रतनलाल पुत्र रेवडया जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। उक्त विवादित आराजीयात पर वादी के हिस्से पर कोई रहन मुर्तहिन का इन्द्राज दर्ज नहीं किया जावेगा तथा उक्त खसरा नम्बरों में जिन खातेदारों का रहन मुर्तहन का इन्द्राज है व उनके अन्य खसरा नम्बरों पर यथावत रहेगा तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादी सं01 लगायत 75 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.11 है0, 1953/3841 रकबा 0.05 है0, 1953 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)